क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 2993/N.O.C/A-343/2017/165 दिनांक 22/11/2017

सेवा में,

मैसर्स ए0बी0एस0 इण्डिया इन्फ्रा प्रा0 लि0,
द्वारा श्री अजय शर्मा
डी-116, बेसमेन्ट डिफेन्स कॉलोनी,
निकट मेन रोड नई दिल्ली।

(VALID UPTO TWO YEARS)

विषयः <u>पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से खसरा नं0-1091/4 एम व 1091/5 एम, नूर नगर, राजनगर एक्स0, गाजियाबाद पर होटल, कर्मिश्यिल काम्पलैक्स, पार्टी हॉल एवं बैकंट हॉल की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र/प्रत्यावेदन दिनांक 02.11.2017 एवं सूचनाये दिनांक 21.11.2017 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र सूचनाये एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि आपकी परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा हैः-

क	स्थल	<u>खसरा नं0-1091/4 एम व 1091/5 एम, एम, नूर नगर, राजनगर एक्स0, गाजियाबाद।</u>
ख	मुख्य कच्चे माल	<u>निर्माण के दौरान बिल्डिंग मैटेरियल एवं उपयोग के दौरान दैनिक जीवन से सम्बन्धित उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे खाद्य पदार्थ, टवायलेटरी आइटम्स आदि।</u>
ग	परियोजना	<u>प्लाट एरिया-1660 मीटर^2, विल्ट अप एरिया-5753.625 मीटर^2 (कामर्शियल शाप-45, होटल रूम-22, पार्टी हॉल-01, बैकंट हॉल-02)</u>
घ	उत्प्रवाह की मात्रा	<u>52.0 कि0ली0/दिन</u>
ड़	प्रयुक्त ईधन	<u>डीजल-आवश्यकतानुसार (स्टैण्ड बाई डी0जी0 सेट हेतु) एवं एल.पी.जी. गैस आवश्यकतानुसार किचिन होटल हेतु।</u>

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

1. प्रस्तावित योजना द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-06 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. इकाई में सभी आवश्यक यन्त्र, संयत्र, हरित पट्टिका तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवी तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
3. इकाई का संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई संचालन करने की तिथि से कम से कम 02 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को इकाई संचालन के पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा करा दिया जायें। यदि इकाई उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत इकाई के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह की कुल मात्रा <u>52.0 कि0ली0/दिन</u> से अधिक नही होगी।
5. इकाई में संचालन से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।
6. आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हेतु समुचित सुरक्षा प्रबन्ध स्थापित करें तथा सम्बन्धित विभाग के निर्देशो का अक्षशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
7. परियोजना मे वैकल्पिक ऊर्जा से लांइटिग हेतु यथासम्भव व्यवस्था स्थापित करें।
8. घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह लगभग 52 कि0ली0/दिन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार एस0टी0पी0 की स्थापना इकाई के प्रारम्भ होने से पूर्व पूर्ण कर ली जाये तथा प्रस्तावानुसार बोर्ड मानको के अनुरूप शुद्धिकृत उत्प्रवाह को दिये गये प्रस्तावानुसार विभिन्न प्रयोजनों हेतु रि-साईकिल तथा शेष उत्प्रवाह को सीवर लाइन मे निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ही निस्तारण किया जाये।
9. शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण अन्तिम बिन्दु तक इस प्रकार से किया जाये कि निस्तारण मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हों एवं जल भराव की समस्या न हो।
10. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक <u>31.03.2018</u> तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

11. प्रस्तावानुसार एवं नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की समुचित व्यवस्था की जाये।
12. प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार 125 के.वी.ए. एवं 65 के0वी0ए0 के दो डी.जी. सेट से वायु प्रदूषण उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भवन छत से 2.5 एवं 3.5 मीटर ऊँची चिमनी तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुरूप एकास्टिक एनक्लोजर की स्थापना की जाये एवं निर्धारित मानकों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।
13. इकाई के विकास के दौरान विभिन्न कान्सट्रक्शन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कच्चे माल की लोडिंग/अन लोडिंग, जनरेटर्स आदि के संचालन से उत्पन्न होने वाले सम्भावित धूल/गैसीय उत्सर्जन/ध्वनि/मृदा/जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना में वर्णित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि परियोजना की स्थापना के दौरान आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या की सम्भावना न रहें।
14. इकाई का निर्माण जी.डी.ए. द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या 474/2017/705 दिनांक 14.10.2017 के अनुसार ही किया जायें।
15. इकाई का निर्माण तभी प्रारम्भ किया जाये जब तक अन्य सम्बन्धित विभागों की बॉछित अनुमतियॉ/स्वीकृतिया प्राप्त कर ली गयी हों।
16. सालिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 के अनुसार एव प्रस्तावानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
17. ठोस अपशिष्ट पदार्थो का निस्तारण इस प्रकार किया जाये कि किसी भी प्रकार से जल एवं वायु प्रदूषण की सम्भावना न रहे।
18. इकाई द्वारा नियमानुसार अधिकतम खुले स्थानों/जी0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत मैप के अनुसार हरित पटिट्का के रूप में विकसित किया जाये।
19. इकाई को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
20. होटल द्वारा किचिन कार्य हेतु कामीशियल एल.पी.जी. गैस सिलिण्डर का ही प्रयोग किया जाये अथवा क्षेत्र में उपलब्ध पी.एन. जी. का प्रयोग किया जाये।
21. परियोजना के हाईट क्लीयरेन्स के सम्बन्ध मे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है तथा एन0ओ0सी0 प्राप्ति होने के उपरान्त ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमन्य होगा तथा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति बोर्ड को भी प्रेषित करें।
22. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 यथा संशोधित के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
23. इकाई द्वारा प्रस्तावित एस0टी0पी0 द्वारा उत्प्रवाह को शोधित कर यथासम्भव सिंचाई, फ्लशिंग एवं डी0जी0 कूलिंग इत्यादि में इकाई में प्रयोग किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार एस0टी0पी0 की स्थापना परियोजना के साथ-साथ पूर्ण की जायें।
24. प्रस्तावित एस0टी0पी0 स्थल के चारो ओर पर्याप्त चौडाई की ग्रीन बेल्ट, गन्ध रोधी प्रजाति के वृक्षो के रोपण द्वारा सुनिश्चित की जायें।
25. परियोजना में नलकूप द्वारा जल दोहन के सम्बन्ध में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
26. एस0टी0पी0 के संचालन की अवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक एनर्जी मीटर स्थापित करें तथा उसकी लागिंग नियमित रखी जाये।
27. इकाई से जनित हैजार्डस वेस्ट, सालिड वेस्ट, ई-वेस्ट आदि का सेग्रिगेशन स्रोत पर ही किया जाये तथा भण्डारण एवं निस्तारण हैजार्डस रूल्स, म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट रूल्स एवं ई-वेस्ट रूल्स के अनुसार ही किया जायेगा।
28. डी0जी0 सेट से जनित निष्प्रयोज्य लुब्रिकेण्ट ऑयल को बोर्ड से अधिकृत (प्राधिकार प्राप्त) रिसाइक्लर को देना सुनिश्चित करें।
29. परियोजना निर्माण के दौरान प्रेषित पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना/आपदा प्रबन्ध योजना के प्रमुख बिन्दुओ का सतत अनुश्रवण करते हुए मासिक अनुश्रवण आख्याऐ बोर्ड को प्रेशित की जायें।
30. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं-21/2014 में दिनांक 10.04.2015 को आवासीय परियोजनाओं के सम्बन्ध मे पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो में संशोधन किया जाने अथवा निरस्त किये जाने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में उधोग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक <u>31.03.2018</u> तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य तथा अग्रिम अनुपालन आख्यायें नियमित रूप से प्रेषित की जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

मुख्य पर्यावरण अभियंता, (सर्किल-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Sunil-Docs